e-mail

सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22639 दिनांक 16 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 20/03/2020 से निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पास जारी करने के संबंध में यथोचित निर्देश समय–समय पर जारी किए गए हैं। आदेश क्रमांकः 22536 दिनांक 30/03/2020 से निर्देशित किया गया था कि जिला कार्यालय की अनुमति के बिना जिले/उपखण्ड़ क्षेत्र से बाहर आवागमन के क्रम में न्यायोचित एवं उचित कारण स्पष्ट करने पर, आवश्यक समझे जाने पर उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंषा सहित निर्धारित प्रारूप में पास जारी करने हेतु सीमित/न्यूनतम संख्या में प्रस्ताव जिला कार्यालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा आदेश क्रमांकः 30897 दिनांक 07/04/2020 से विशेष अपवादिकी परिस्थिति यथा गंभीर बीमार व्यक्ति को उपखण्ड़/जिले में आवागमन हेतु पास जारी करने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये थे।

निषेधाज्ञा एवं लॉक डाउन की स्थिति को दृष्टिगत आदेश दिये जाते हैं कि परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के निकटतम परिजन यथा माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन को उपखण्ड़/जिले से बाहर आवागमन की अनुमति हेतु अभिशंषा/प्रस्ताव भिजवाने एवं पास जारी कर लौटाये जाने में समय लगने की संभावना रहती हैं।

अतः भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा एवं लॉक डाउन अवधि में **परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के निकटतम परिजन यथा माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन** को उपखण्ड़/जिले से बाहर आवागमन हेतु **सीमित संख्या में** पास सबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट जारी कर सकेगे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. **मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर**
2. **अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर**
3. **अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर**
4. **संभागीय आयुक्त, अजमेर**
5. **महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर**
6. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा**
7. **अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा**
8. **अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा**
9. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा**

10. प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
13. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
15. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
17. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
18. सब रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा
19. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
22. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
23. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
24. कार्यालय अधीक्षक, जिला कार्यालय

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा